



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072020-220745
CG-DL-E-29072020-220745

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]
No. 368]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SRAVANA 7, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

सं. 21/2020- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि.472 (अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान और वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक 8442 50 और टैरिफ मद 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90 के अंतर्गत आती है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर, दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित अपने प्राथमिक निष्कर्षों में इन विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है:—

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने उक्त विषयगत वस्तु पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 30

जनवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 58 (अ), दिनांक 30 जनवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर, दिनांक 15 मई, 2020, जिसे दिनांक 15 मई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

- (क) विषयगत देशों से होने वाले विषयगत वस्तु के आयात में निरपेक्ष रूप से और भारत में होने वाले उत्पादन और खपत की तुलना में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है;
- (ख) उक्त विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से भारत को निर्यात उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था;
- (ग) विषयगत देशों से उक्त विषयगत आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है; और
- (घ) इस प्रकार की सारवान क्षति विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 30 जनवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 58 (अ), दिनांक 30 जनवरी, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त प्राथमिक निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक या टैरिफ मदों के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक/टैरिफ मद	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90,	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड	0.55	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर

	7606 92 90							
2.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोडक चाइना ग्राफिक्स कम्युनिकेशन्स कंपनी लिमिटेड	शून्य	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
3.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शंघाई स्ट्रॉग स्टेट प्रिंटिंग इक्विपमेंट लिमिटेड और मैसर्स अंहुई स्ट्रॉग स्टेट प्रिंटिंग मैटीरियल्स लिमिटेड	0.60	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
4.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	फ्यूजी फिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड	शून्य	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
5.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त कॉलम (6) में उल्लिखित क्रम संख्या 1 से 4 को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	0.77	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
6.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90,	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	0.77	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर

	7606 92 90							
7.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	जील सी एंड पी कंपनी लिमिटेड	0.15	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
8.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	जील सी एंड पी कंपनी लिमिटेड को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	0.37	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
9.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	0.37	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
10.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	जापान	जापान	फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन	0.13	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
11.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90,	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	जापान	जापान	फ्यूजी फिल्म कॉर्पोरेशन को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	0.27	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर

	7606 92 90							
12.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	जापान	जापान से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	0.27	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
13.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	वियतनाम	वियतनाम	कोई भी	0.60	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
14.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	वियतनाम	वियतनाम से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	0.60	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
15.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	ताइवान	ताइवान	कोई भी	0.41	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर
16.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 10 00, 7606 11 90, 7606 91 90,	डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	ताइवान	ताइवान से भिन्न अन्य कोई देश	कोई भी	0.41	वर्ग मीटर	अमेरिकी डॉलर

7606 92 90							
------------	--	--	--	--	--	--	--

उपर्युक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं में वाटरलेस सीटीपी प्लेट्स जिसका प्रयोग विशिष्ट सामग्रियों जैसे कि क्रेडिट कार्ड, सिक्युरिटी कार्ड आदि पर प्रिंटिंग के लिए होता है और कागज पर प्रिंटिंग के लिए नहीं होता है, शामिल नहीं है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया यह प्रतिपाटन शुल्क इस अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की उपर्युक्त तारीख अर्थात् 30 जनवरी, 2020 से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(क) “अवतरण मूल्य” से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क के द्वारा निर्धारित आंकलन मूल्य से है और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्क आते हैं।

(ख) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/165/2019-टीआरयू]

जे. एस. कंधारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2020

No. 21/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 472(E).—Whereas, in the matter of “Digital Offset Printing Plates” (hereinafter referred to as the ‘subject goods’), falling under sub-headings 8442 50 and tariff items 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the ‘Customs Tariff Act’), originating in, or exported from People’s Republic of China, Japan, Korea RP, Taiwan and Vietnam (hereinafter referred to as the ‘subject countries’), and imported into India, the designated authority in its preliminary findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 6/7/2019- DGTR dated the 3rd October, 2019, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries;

And, whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2020-Customs (ADD), dated the 30th January, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 58 (E), dated the 30th January, 2020;

And, whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification number 6/7/2019-DGTR dated 15th May, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15th May, 2020, has come to the conclusion that-

- (a) there is substantial increase in imports of subject goods from subject countries in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India;

- (b) the subject goods have been exported to India from the subject countries below normal value;
- (c) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from the subject countries; and
- (d) the injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2020-Customs (ADD), dated the 30th January, 2020, published vide number G.S.R 58(E), dated the 30th January, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading or tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

Sl. No	Sub-heading/tariff item	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	People's Republic of China	Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd.	0.55	sqm	US Dollar
2.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	People's Republic of China	Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.	Nil	sqm	US Dollar
3.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	People's Republic of China	Shanghai Strong State Printing Equipment Limited and M/s. Anhui Strong State Printing Materials Ltd.	0.60	sqm	US Dollar
4.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	People's Republic of China	Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.	Nil	sqm	US Dollar

5.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	People's Republic of China	Any other producer except S. No. 1 to 4 mentioned above in column no. (6)	0.77	sqm	US Dollar
6.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	People's Republic of China	Any country other than People's Republic of China	Any	0.77	sqm	US Dollar
7.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	Korea RP	Korea RP	Jeil C&P Co. Ltd.	0.15	sqm	US Dollar
8.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	Korea RP	Korea RP	Any other producer except Jeil C&P Co. Ltd.	0.37	sqm	US Dollar
9.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	Korea RP	Any country other than Korea RP	Any	0.37	sqm	US Dollar
10.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	Japan	Japan	Fujifilm Corporation	0.13	sqm	US Dollar
11.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	Japan	Japan	Any other producer except Fujifilm Corporation	0.27	sqm	US Dollar
12.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606	Digital Offset Printing Plates	Japan	Any country other than Japan	Any	0.27	sqm	US Dollar

	91 90, 7606 92 90							
13.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	Vietnam	Vietnam	Any	0.60	sqm	US Dollar
14.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	Vietnam	Any country other than Vietnam	Any	0.60	sqm	US Dollar
15.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	Taiwan	Taiwan	Any	0.41	sqm	US Dollar
16.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates	Taiwan	Any country other than Taiwan	Any	0.41	sqm	US Dollar

The subject goods mentioned in column (3) in the above Table does not include waterless CtP Plates used for printing on specialised materials such as credit card, security card etc. and not on paper.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the aforesaid date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 30th January, 2020 and shall be payable in Indian currency:

Explanation. - For the purposes of this notification, -

(a) "landed value" of imports means the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975;

(b) rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act, 1962.

[F. No. 354/165/2019-TRU]

J. S. KANDHARI, Dy. Secy.